निगरानी / टी.ए./4977 / 2004 / जिला हनुमानगढ
केसरा वगैरह बनाम दलीप कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री अविनाश चौधरी, सदस्य** **उपस्थित :** श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित, एकपक्षीय कार्यवाहीं अमल में लाई गई है। **आदेश** हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–9–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। पुनरीक्षण याचिका अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अप्रार्थी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर पीलीबंगा के यहां बाबत् विवादित आराजी पेश किया। जिसे सहायक कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 22–1–03 द्वारा एकतरफा डिक्री पारित कर दी। जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा सहायक कलेक्टर पीलीबंगा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत कर एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने की प्रार्थना की गई। सहायक कलेक्टर पीलीबंगा ने प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 3–1–04 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के यहां प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–9–04 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका मंडल में पेश की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम व कानून के विपरीत है। प्रार्थी के अभिभाषक ने उनके कहा था कि उन्हें हर पेशी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	पर आने की जरूरत नहीं है। अभिभाषक प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने पर परीक्षण न्यायालय ने एकपक्षीय डिक्री पारित की है। अभिभाषक की गलती का खामियाजा पक्षकार को नहीं दिया जा सकता। प्रार्थी को एकपक्षीय डिक्री पारित करने से पूर्व एक बार भी अंतिम अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी भी विधि से परे खारिज कर दिया। जिसकी अपील अपीलीय प्राधिकारी को प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देने हेतु प्रतिप्रेषित करनी चाहिये थी। किंतु अपीलीय प्राधिकारी ने भी प्रार्थीगण की अपील सरसरी तौर पर खारिज कर दी। प्रार्थी को सुनवाई के मौके के प्राकृतिक सिद्धांत के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16–9–2002 के अवलोकन से प्रकट होता है कि वाद पत्रावली तनकीयात कायम की जाकर वास्ते साक्ष्य वादी नियत थी तथा आगामी नियत दिनांक 5–10–02 को आदेशिका में अंकित है कि वकील वादी उप0, साक्ष्य वादी उप0 नहीं, वकील वादी समय चाहते है, समय दिया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 11–11–02 को पेश हो। काले पेन की स्याही से अंकित है। तत्पश्चात् नीले पेन की स्याही से उक्त आदेशिका में '' वकील प्रति. अनु. अतः प्रतिवादी सं.1 से 4 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाहीं की जाती है। उसके बाद निर्णय दिनांक 22–1–03 को एकपक्षीय डिक्री पारित कर दी गई। योग्य विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध जल्दबाजी में एकपक्षीय कार्यवहीं की गई है तथा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाहीं करने से पूर्व अंतिम अवसर भी दिया जाना आदेशिकाओं से प्रकट नहीं होता। अभिभाषक प्रार्थी ने अवगत कराया कि उनके	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अभिभाषक द्वारा हर पेशी पर उन्हें उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, कहा था। अभिभाषक की गलती का खामियाजा पक्षकार नहीं भुगत सकता।ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी की विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाहीं को न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अपीलीय न्यायालय से भी अपेक्षित था कि वह प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर वाद का निस्तारण करने हेतु विचारण न्यायालय को अपील प्रतिप्रेषित करते, जो उनके द्वारा नहीं किया जाकर अपील को आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज किया गया, भी समर्थन योग्य नहीं है। इस एकल पीठ की विनम्र राय में प्रार्थीगण को समुचित सुनवाई के मौके के प्राकृतिक सिद्धांत के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में योग्य दोनों अधिनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाना न्यायोचित है तथा प्रार्थी की इस अनुपस्थिति से प्रतिपक्षी को हुई असुविधा को कोस्ट से प्रतितोषित किया जाना न्यायोचित है एवं पुनरीक्षण याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत् पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 15–9–04 एवं सहायक कलेक्टर पीलीबंगा का आदेश दिनांक 3–1–04 निरस्त किया जाता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी रूपये 10000/– कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर न्यायालय सहायक कलेक्टर पीलीबंगा का एकतरफा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–1–03 भी अपास्त किया जाता है। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर पीलीबंगा में वास्ते वाद में अग्रिम कार्यवाहीं दिनांक 30–6–2022 में उपस्थित होंवे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(अविनाश चौधरी)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए